बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

नियोजन नोटिस संख्या–6394

(वेबसाइट– https://zp.bihar.gov.in)

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग, षष्ठम् राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु तकनीकी सहायकों के रिक्त पद पर चयन संबंधी सूचना।

राज्य सरकार के सात निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग, षष्ठम् राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन करने का निर्णय लिया गया है।

संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पद नाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह मानदेय	नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5
1.	तकनीकी सहायक	जिलावार कुल रिक्ति–942 (सूची संलग्न)	27000	मान्यता प्राप्त पॉलिटेकनिक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट https://zp.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता :–

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) उम्र सीमा विज्ञापन की तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुरूप होगी। आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गणना दिनांक–01.04.2025 के अनुसार की जायेगी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–1735 दिनांक–22.06.2006 के अनुसार अधिकतम् उम्र सीमा निम्नवत् लागू होगी :–

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरूष)	–	37 वर्ष
(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	–	40 वर्ष
(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला)	–	40 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	–	42 वर्ष

4. आरक्षण:–

(i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विहित रोस्टर लागू होंगे।

(ii) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–2526, दिनांक–28.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतनी को 2 प्रतिशत अनुमान्य होगी।

5. आवेदन की प्रक्रिया :–

(i) आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है।

(ii) ऑनलाईन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक https://zp.bihar.gov.in पर करना होगा। वेबसाईट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जा सकेंगे।

(iii) आवेदकों द्वारा भरी गयी सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर Counseling में मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(iv) अभ्यर्थियों द्वारा Online आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता/अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(v) Online आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन/Counseling के क्रम में समानता नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थितत्व रद्द कर दिया जाएगा।

(vi) वेबसाइट– https://zp.bihar.gov.in पर उपलब्ध शपथ–पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(vii) अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो लें कि जिस जिले के लिए वह आवेदन कर रहे हैं, उस जिले में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले जिले में आवेदन किये जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

6. मेधा सूची का निर्धारण :–

(i) तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त ***पॉलिटेकनिक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा*** होगी। ऑनलाईन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।

कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40 प्रतिशत पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेकनिक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(ii) मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

(iii) प्रतीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियों को अगले एक वर्ष में भरा जा सकेगा।

(iv) रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है, जिसकी सूचना समय–समय पर विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

7. उक्त पद पर चयन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन निम्नवत् किया गया है :–

(i) जिला पदाधिकारी – **अध्यक्ष**

(ii) उप विकास आयुक्त – **उपाध्यक्ष**

(iii) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के एक पदाधिकारी (जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे) – **सदस्य**

(iv) अल्पसंख्यक वर्ग के एक पदाधिकारी (जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे) – **सदस्य**

(v) जिला पंचायत राज पदाधिकारी – **सदस्य सचिव**

8. संविदा एकरारनामा :–यह चयन संकल्प संख्या–4046 दिनांक–25.07.2018 के आलोक में किया जायेगा, संविदा शर्तों के अनुसार एकरारनामा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ किया जायेगा।

9. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन संकल्प संख्या–4046 दिनांक–25.07.2018 के अधीन होगा।

10. इस नियोजन की अवधि 31 मार्च, 2026 तक के लिए होगी। आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से सेवा अवधि विस्तार किया जा सकेगा। अवधि विस्तार का दावा कोई मान्य नहीं होगा।

11. नियोजन के संदर्भ में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इस नियोजन को कभी भी रद्द किया जा सकता है। आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

12. चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

13. नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

14. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियोजन से संबंधित जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट–https://zp.bihar.gov.in को नियमित रूप से अवलोकन करते रहेंगे।

20/05/25

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

क्र.सं.	प्रमंडल का नाम	जिला का नाम	UR	UR महिला	EWS	EWS महिला	SC	SC महिला	ST	ST महिला	EBC	EBC महिला	BC	BC महिला	पिछड़े वर्गो की (महिला)	कुल	दिव्यांग कोटि	स्वतंत्रता सेनानी	अभ्युक्ति
1	पटना	भोजपुर	5	2	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	1	14	0	1	
		बक्सर	2	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	7	0		
		कैमूर	5	2	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	13	01–OH		
		नालन्दा	3	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	10	0		
		पटना	13	7	3	1	3	2	2	0	4	2	0	0	1	38	01–MD	1	
		रोहतास	5	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	12	01–VI		
		कुल	**33**	**16**	**8**	**1**	**9**	**2**	**3**	**0**	**11**	**3**	**3**	**0**	**5**	**94**	**0**	**2**	
2	मगध	अरवल	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	
		औरंगाबाद	3	2	1	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	12	01–DD	0	
		गया	19	11	5	2	7	4	0	0	9	5	5	3	2	72	01–OH 01-MD	2	
		जहानाबाद	4	2	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	12	01-VI	0	
		नवादा	2	1	1	0	3	1	0	0	1	0	2	1	0	12	0	0	
		कुल	**30**	**16**	**9**	**2**	**15**	**7**	**1**	**0**	**12**	**5**	**9**	**4**	**3**	**113**	**0**	**2**	

3	तिरहुत	पूर्वी चम्पारण	22	12	4	2	5	3	1	0	4	2	4	2	4	65	01–OH 01-DD	2	
		मुजफ्फरपुर	21	11	5	2	6	4	1	0	8	5	2	1	4	70	01–VI 01-DD 01-MD	1	
		सीतामढ़ी	10	6	3	1	4	2	0	0	5	2	3	2	1	39	01-OH 01-MD	1	
		शिवहर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	
		वैशाली	15	8	4	2	7	3	0	0	7	4	4	2	2	58	01–VI 01-DD	1	
		पश्चिम चम्पारण	18	10	3	2	4	2	0	0	4	2	2	0	2	49	01-OH 01-MD	1	
		कुल	87	47	19	9	26	14	2	0	28	15	16	7	13	283		4	
4	सारण	गोपालगंज	5	3	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	14	01-OH	1	
		सारण	13	7	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	28	01-VI	1	
		सिवान	10	5	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	20	01-DD	0	
		कुल	28	15	4	2	7	2	0	0	0	0	2	0	2	62		2	

5	दरभंगा	दरभंगा	15	8	3	2	5	3	0	0	3	2	3	1	2	47	01-DD 01-OH	1	
		मधुबनी (बैकलॉग)	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3			
		मधुबनी	17	9	4	2	6	4	0	0	8	4	5	3	2	64	01-VI 01-DD 01-MD	2	
		समस्तीपुर (बैकलॉग)	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	6			
		समस्तीपुर	16	9	4	2	6	3	1	0	7	4	5	3	2	62	01-MD 01-OH	1	
		कुल	48	26	11	6	21	10	1	0	23	10	13	7	6	182		4	
6	मुंगेर	बेगूसराय	12	6	3	1	5	3	0	0	3	1	4	2	0	40	01-VI 01-MD	1	
		जमुई	6	4	2	1	2	1	1	0	3	2	2	1	1	26	01-DD	0	
		खगड़िया	5	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	10	01-DD	0	
		लखीसराय	4	2	1	0	2	1	0	0	3	1	0	0	0	14	0	0	
		मुंगेर	5	2	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	1	15	01-OH	0	
		शेखपुरा	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	7	0	0	
		कुल	34	16	9	2	13	5	1	0	13	4	10	3	2	112		1	

7	भागलपुर	बाँका	3	2	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	11	0	0	
		भागलपुर	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	8	01-VI	0	
		कुल	6	3	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	2	19	0	1	
8	कोशी	मधेपुरा (बैकलॉग)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2			
		मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		सहरसा (बैकलॉग)	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	1	6			
		सहरसा	4	2	1	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	13	01-VI	0	
		सुपौल	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	7	01-VI	0	
		कुल	5	2	2	0	7	0	1	0	3	1	4	0	3	28		0	
9	पूर्णियाँ	अररिया (बैकलॉग)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	6			
		अररिया	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2		0	
		कटिहार (बैकलॉग)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1			
		कटिहार	4	2	2	0	2	0	1	0	2	1	2	0	1	17	01-VI	0	
		किशनगंज	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2		0	
		पूर्णियाँ (बैकलॉग)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3			
		पूर्णियाँ	5	2	2	0	2	1	1	0	2	1	1	0	1	18	01-DD	0	
		कुल	9	4	4	0	9	1	2	0	7	2	6	0	5	49		0	

(अनन्त शर्मा)
निदेशक